FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. **District (जिला):** KOTPUTLI-BEHROR **P.S. (थाना):** KOTPUTALI **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0057 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/01/2026 15:02 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	198
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	199(a)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 16/05/2025 **Date To (दिनांक तक):** 29/01/2026

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/01/2026 **Time (समय):** 14:38 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 032 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/01/2026 14:38:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** उत्तर - पश्चिम, 3.54 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** रामसिंहपुरा

   (b) **Address(पता):** HAWSINGH BORAD, KOTPUTLI

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAO DHANVEER SINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): DESHRAJ SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1971 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	02/I/40, RK PURAM, HAWSINGH BORAD, KOTPUTLI, KOTPUTALI, KOTPUTLI-BEHROR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	02/I/40, RK PURAM, HAWSINGH BORAD, KOTPUTLI, KOTPUTALI, KOTPUTLI-BEHROR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-7015494018

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

पत्रांक राव/ एफआईआर / 028 / 2026 दिनांक- 28 जनवरी 2026 सेवामें,श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-कोटपुतली-बहरोड़, राज विषयः इत्तिला तहत धारा-173 (4) B.N.S.S., 2023 सहपठित धारा-31 (2) राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 बाबत संज्ञेय अपराध पर F.I.R. दर्ज करवाने । विरुद्ध सुशीला यादव वल्द एवं स्थाई निवास-नामालूम, हालः प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम-हटूँडी, तहसील-मुण्डावर, जिला-खैरथल-तिजारा, राज. बाजुर्म B.N.S., 2023 की धारा-198, 199, 316 (2) और धारा 318(4) सन्दर्भ 1.१. श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना कोटपूतली के कार्यालय पत्रांक-157 दिनांक 11 जनवरी 2016 के संदर्भ । सन्दर्भ 2. २. श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, राजस्थान पुलिस, जयपुर (राज.) का परिपत्र संख्या-02/2018 तारीखी-30.07.2018, परिपत्र संख्या-9727-98 तारीखी-10.05.2019 और परिपत्र संख्या-2375-431 तारीखी-05.02.2020 ३. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय बउनवानी ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) AIR (SCW) 6386 में संज्ञेय अपराध के बाबत अभियोग दर्ज करने के बाबत दी गयी व्यवस्था श्रीमानजी, उक्त विषय एवं सन्दर्भों में इत्तिलादाता अपने साथ कारित हुए संज्ञेय अपराध एवं आपराधिक षडयंत्र पर FIR दर्ज करवाने बाबत यह इत्तिला निम्नप्रकार निवेदन करता है 1. मैनें अभियुक्ता को तत्कालीन राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम माध्यमिक विद्यालय, ग्राम-हटूँडी, तहसील-मुण्डावर, जिला-खैरथल-तिजारा, राज. होने के नाते दिनांक-01.05.2025 को उसके कार्यालय से दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन एक लिखित आवेदन मय आवश्यक शुल्क के जरीये राजस्थान सरकार के अधिकृत पोर्टल प्रेषित किया गया था जोकि आवेदन संख्या- 366435882529949 के रूप में दर्ज हुआ उक्त आवेदन, आवेदन शुल्क के भुगतान एवं पंजीकरण के रिकॉर्ड की प्रति संलग्न है 2. उक्त आवेदन के जवाब में मुझे उक्त कार्यालय से अभियुक्ता द्वारा पोर्टल पर दिनांक-16.05.2025 को पत्र क्रमांक- 9860556539 भेज कर अभियुक्ता द्वारा मुझसे सूचना भेजने हेतु 7402/- रुपयों की मांग की गयी थी जिसके चलते मेरे द्वारा उसी दिन उक्त रकम जमा करवाई गयी जिसके संस्वीकृति अभियुक्ता द्वारा अपने पत्र संख्यांक 14252843 Date 16/05/2025 द्वारा दी गयी है। उक्त दोनों पत्रों की प्रतियां इस इत्तिला के संलग्न हैं।3. चूंकि प्रकरण में मेरे द्वारा स्वयं के इस्तेमाल के लिए अभियुक्ता से दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां चाही गयी थीं लिहाजा अभियुक्ता द्वारा उसी रूप में दस्तावेजात उपलब्ध करवाने थे किन्तु उक्त अभियुक्ता द्वारा मेरे द्वारा प्रेषित उक्त रकम को पाने के बाद भी कोई प्रमाणित दस्तावेज आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है बल्कि अभियुक्ता द्वारा अधिनियम की धारा-7 (9) के उपबंध के निर्देशों के विरुद्ध कृत्य करते हुए महज उक्त दस्तावेजात की फोटो खींचकर मुझे महज WhatApp पर उपलब्ध करवाई हैं किन्तु प्रमाणित प्रति आज भी उपलब्ध नहीं करवाई हैं।4. यह है कि जिसकी जांच थानाधिकारी कोटपूतली द्वारा आरोपियों से साझ-बाज का अमल में लाई गई अमल में लाई गई। जो बिल्कुल भी सही नहीं है ।5. उक्त प्रकार अभियुक्ता द्वारा B.N.S., 2023 की धारा-198, 199, 316 (2) और धारा 318(4) के अपराध कारित किये गए हैं।6. चूंकि अधिनियम की धारा-18 एवं 19 में दिए गए परिवाद और अपील के उपचार में ऐसा प्रकरण दर्ज नहीं हो सकता है जिसकी जानकारी अभियुक्ता को भी है जिसका बेजा इस्तेमाल कर अभियुक्ता द्वारा विधि के उपबंधों के विरुद्ध कृत्य करते हुए, मेरे द्वारा प्रेषित उक्त रकम को गबन कर मुझे सदोष हानि पहुंचाने के लिए और मुझे विधिक अधिकारों से महरूम रखने के लिए मेरे साथ इलेक्ट्रोनिक संसाधन का इस्तेमाल करते हुए उक्त छल एवं दीगर जुर्म कारित किये गये हैं जिनका सिलसिला मेरे निवास पर मेरे साथ उक्त पत्राचार से मुकम्मल हुआ है लिहाजा मैनें श्रीमान थानाधिकारी महोदय, पुलिस थाना-कोटपूतली, जिला-कोटपुतली-बहरोड़, राज. को इस बाबत दिनांक-17.07.2025 को लिखित इत्तिला पेश की थी किन्तु प्रकरण में F.I.R. दर्ज नहीं हुई है।अतः दरपेश गुजारिश है कि श्रीमान थानाधिकारी महोदय, पुलिस थाना-कोटपूतली, जिला-कोटपुतली-बहरोड़, राज. को उक्त अभियुक्ता के खिलाफ अजरूय दफा मुकद्दमा दर्ज करने के आदेश फरमाने की मेहरबानी फरमावें ताकि अभियुक्ता को बाद चालान उक्त आपराधिक कृत्यों के लिए माननीय न्यायालय से कठोरतम दंड से दण्डित करवाया जा सके ।संलग्नः उपरोक्तानुसार अर्ज कुनंदा,राव धनवीर सिंह s/o राव देशराज सिंह मकान नंबर 02 / आई / 40, आरके पुरम, हाउसिंग बोर्ड कोटपूतली, जिला-कोटपुतली-बहरोड़, राज., PIN-303 108,मो.नं.- 7015494018, ई-मेल - dsraolambardar@gmail.com................कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि जरिये डाक

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला कोटपुतली बहरोड से धारा 173(4) BNSS के तहत परिवादी श्री राव धनवीर सिह पुत्र श्री देशराज सिह जाति यादव निवासी मकान न. 2 आई 40 आर के पुरम हाऊसिह बोर्ड कोटपुतली थाना कोटपुतली जिला कोटपुतली बहरोड का जरिये डाक आश्य का प्राप्त हुआ जिसकी नकल C.C.T.N.S. कम्प्युटर में अक्षर श अक्षर अंकित की गई मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 198,199(A),318(4),316(2) BNS के वकू में आना पाया जाने पर तफतीश श्री धवलाराम ASI के जुम्मे की गई प्रतिया FIR नियमानुसार जारी की गई।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): Dhavla Ram Yadav Rank (पद): सहायकउप - निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rajesh Kumar Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/01/2026 15:06:13

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Rajesh Kumar Sharma

Rank (पद): I (Inspector)

No(सं.):